

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2022
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0012 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 14/07/2022 13:03 hrs

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS ACT, 1975	10
2	HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS ACT, 1975	7A
3	IPC 1860	120-B
4	IPC 1860	166
5	IPC 1860	197
6	IPC 1860	198
7	IPC 1860	217
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 13(2)	
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 13(1)(c)	

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
 Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/07/2022 Time (समय): 12:20 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 14/07/2022 12:32 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 45 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): तहसील कार्यालय बोगढ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Jaipal Singh

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 04/08/1968

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	रा0चौ0ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	रा0चौ0ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9467701234

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्रीभगवान नायब तहसीलदार			1. तहसील कार्यालय बहादुरगढ़, जिला झज्जर JHAJJAR, HARYANA, INDIA
2	श्रीगणेश रजिस्ट्री कलर्क			1. तहसील कार्यालय ब0गढ़, जिला झज्जर JHAJJAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य ₹ में)

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य ₹ में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी. आसूचना के आधार पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 62/59/2017-4 चौ0 (II) दिनांक 11.10.2017 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के प्रष्ठांकन क्रमांक 12875/आई-1/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 16.10.2017 अनुसार जाँच क्रमांक 2 दिनांक 16.10.2017 झज्जर दर्ज की जाकर पडताल की गई। जाँच में श्री भगवान तहसीलदार बहादुरगढ़ व श्री गणेश रजिस्ट्री कलर्क तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर द्वारा वसीका नवीसो व प्रापटी डीलरो के साथ मिली भगत करके मोटा कमीशन प्राप्त करके नगर परीषद बहादुरगढ़ से बिना अन्नापति प्रमाण पत्र प्राप्त किये अवैध कालोनियों की जमीन की टुकडो में रजिस्ट्री की गई। सरकार के आदेशानुसार अनुसार अवैध कालोनियों में रजिस्ट्री करना प्रतिबन्धित था। उपरोक्त तहसीलदार व रजिस्ट्री कलर्क ने अपने निजि लाभ के लिये आदेशों की खुली अवहेलना की जाने बारे आरोप की पडताल की जानी थी। जाँच की पडताल करने उपरान्त प्रधानत निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, झज्जर द्वारा जाँच की अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट अनुसार पाया कि प्रतिवादी श्री श्रीभगवान, नायब तहसीलदार, बहादुरगढ़ के पद पर दिनांक 09.11.2016 से 25.02.2019 तक कार्यरत रहा है व प्रतिवादी श्री गणेश, लिपिक, तहसील बहादुरगढ़ में रजिस्ट्री कलर्क के पद पर दिनांक 15.05.2017 से 27.09.2017 तक व दिनांक 24.02.2018 से 07.10.2018 तक कार्यरत रहा है। इस जाँच से लगाए गए आरोपों से सम्बन्धित रजिस्ट्रीयां काफी संख्या में होने का अनुमान होने के कारण, किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए केवल वर्ष 2017 से सम्बन्धित 73 व 60, कुल 133 रजिस्ट्रीयां की सत्यापित छायाप्रतियां कार्यालय तहसीलदार, बहादुरगढ़ से प्राप्त की गई थी। उक्त प्राप्त की गई रजिस्ट्रीयां में से 32 रजिस्ट्रीयां के अन्नापति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित रिपोर्ट कार्यालय जिला नगर योजनाकार, झज्जर प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7ए के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र से सम्बन्धित जमीन की रजिस्ट्री करने से पूर्व कार्यालय तहसीलदार, बहादुरगढ़ द्वारा

उनके कार्यालय से अनुमति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था, परन्तु उक्त 32 रजिस्ट्रीयों में से 20 रजिस्ट्रीयों (रजिस्ट्री क्रमांक 4613 दिनांक 12.09.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 1310 दिनांक 24.05.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 1313 दिनांक 19.05.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 615 दिनांक 27.04.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2854 दिनांक 11.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2855 दिनांक 11.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2853 दिनांक 11.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 1030 दिनांक 12.05.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2919 दिनांक 12.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2774 दिनांक 11.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2775 दिनांक 11.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2933 दिनांक 12.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2920 दिनांक 12.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 1659 दिनांक 03.05.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2930 दिनांक 12.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2925 दिनांक 12.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 2843 दिनांक 11.07.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 1667 दिनांक 31.05.2017, रजिस्ट्री क्रमांक 1670 दिनांक 31.05.2017 व रजिस्ट्री क्रमांक 2776 दिनांक 11.07.2017) का रजिस्ट्रि कर लेते समय तहसीलदार, बहादुरगढ़ द्वारा कार्यालय जिला नगर योजनाकार, झज्जर से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था। शेष 101 रजिस्ट्रीयों का इस कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, बहादुरगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो रिपोर्ट अनुसार अग्रलिखित 89 रजिस्ट्रीयों में दर्शाए गए खसरा नं० नगर परिषद, बहादुरगढ़ की वैध कालोनियों की सूची के अन्तर्गत नहीं हैं- 208 दिनांक 11.04.2017, 437 दिनांक 24.04.2017, 605 दिनांक 27.04.2017, 606 दिनांक 27.04.2017, 608 दिनांक 27.04.2017, 609 दिनांक 27.04.2017, 614 दिनांक 27.04.2017, 621 दिनांक 27.04.2017, 1043 दिनांक 15.05.2017, 1302 दिनांक 24.05.2017, 1305 दिनांक 24.05.2017, 1314 दिनांक 24.05.2017, 1315 दिनांक 24.05.2017, 1316 दिनांक 24.05.2017, 1329 दिनांक 26.05.2017, 1328 दिनांक 25.05.2017, 1330 दिनांक 25.05.2017, 1669 दिनांक 31.05.2017, 2009 दिनांक 14.6.2017, 2312 दिनांक 27.06.2017, 2367 दिनांक 28.06.2017, 2779 दिनांक 11.07.2017, 2780 दिनांक 11.07.2017, 2922 दिनांक 12.07.2017, 2921 दिनांक 12.07.2017, 2924 दिनांक 12.07.2017, 2931 दिनांक 12.07.2017, 2932 दिनांक 12.07.2017, 2934 दिनांक 12.07.2017, 2973 दिनांक 13.07.2017, 2975 दिनांक 13.07.2017, 2977 दिनांक 13.07.2017, 2979 दिनांक 13.07.2017, 2982 दिनांक 13.07.2017, 2983 दिनांक 13.07.2017, 2984 दिनांक 13.07.2017, 2985 दिनांक 13.07.2017, 2986 दिनांक 13.07.2017, 2990 दिनांक 13.07.2017, 2987 दिनांक 13.07.2017, 2994 दिनांक 13.07.2017, 2997 दिनांक 13.07.2017, 2998 दिनांक 13.07.2017, 2999 दिनांक 13.07.2017, 3323 दिनांक 27.07.2017, 3871 दिनांक 10.08.2017, 3872 दिनांक 10.08.2017, 3880 दिनांक 11.08.2017, 4652 दिनांक 14.09.2017, 4659 दिनांक 14.09.2017, 4666 दिनांक 14.09.2017, 4675 दिनांक 14.09.2017, 4689 दिनांक 14.09.2017, 4690 दिनांक 14.09.2017, 4695 दिनांक 14.09.2017, 4696 दिनांक 14.09.2017, 4700 दिनांक 14.09.2017, 4701 दिनांक 14.09.2017, 4702 दिनांक 14.09.2017, 4703 दिनांक 14.09.2017, 4704 दिनांक 14.09.2017, 4712 दिनांक 14.09.2017, 4713 दिनांक 14.09.2017, 4717 दिनांक 14.09.2017, 4722 दिनांक 15.09.2017, 4724 दिनांक 15.09.2017, 4725 दिनांक 15.09.2017, 4726 दिनांक 15.09.2017, 4727 दिनांक 15.09.2017, 4728 दिनांक 15.09.2017, 4730 दिनांक 15.09.2017, 4735 दिनांक 15.09.2017, 4736 दिनांक 15.09.2017, 4738 दिनांक 15.09.2017, 4739 दिनांक 15.09.2017, 4755 दिनांक 15.09.2017, 4773 दिनांक 15.09.2017, 4774 दिनांक 15.09.2017, 4775 दिनांक 15.09.2017, 4776 दिनांक 15.09.2017, 4780 दिनांक 15.09.2017, 4781 दिनांक 15.09.2017, 4784 दिनांक 15.09.2017, 4786 दिनांक 15.09.2017, 4787 दिनांक 15.09.2017, 7935 दिनांक 14.03.2017, 8492 दिनांक 31.03.2017, 8491 दिनांक 31.03.2017 व 8493 दिनांक 31.03.2017। वसिकाओं को पंजीकृत करते समय कार्यालय तहसीलदार, बहादुरगढ़ द्वारा नगर परिषद, बहादुरगढ़ से एन.ओ.सी. नहीं ली गई है। उपरोक्त वसिकाओं के अतिरिक्त भी सेल-डीड करने हेतु एन.ओ.सी. नहीं ली गई है। नगर परिषद वैध कालोनियों में विकास शुल्क प्राप्त करके नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करता है। इस प्रकार से उपरोक्त वसिकाओं को पंजीयन में बिना डी.टी.पी. की एन.ओ.सी. के धारा 7ए की उल्लंघना की जानी पाई गई। इस प्रकार से अवैध कालोनियों में वसिकाएँ पंजीकृत करके तहसीलदार ने सरकार को Scrutiny Fees, Conversion Charge Licence Fees, EDC, IDC व विकास शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व का हानि पहुँचाकर सरकार को वित्तिय क्षति पहुँचाकर घोर लापरवाही का परिचय दिया है। जबकि सरकार द्वारा समय-समय पर उपायुक्त, झज्जर ने तहसीलदार, बहादुरगढ़ को निर्देश दिए थे कि नगरपरिषद, बहादुरगढ़ के अन्तर्गत क्षेत्र की Sale-Deeds के नगरपरिषद, बहादुरगढ़ से No Dues में लेने उपरान्त ही पंजीकृत करे तथा जिला नगर योजनाकार, झज्जर ने भी तहसीलदार, बहादुरगढ़ को पत्र लिखा था कि बहादुरगढ़ एवं के.एम.पी. के इर्द-गिर्द घोषित नियंत्रित क्षेत्रों/अर्बन क्षेत्रों में पड़ने वाली (उक्त पत्र में वर्णित) अवैध कालोनियों में रजिस्ट्री/जनरल पावर ऑफ अटोरनी एवं इकरारनामों न किए जाएं ताकि इन अवैध कालोनियों को प्राइमरी स्टेज पर ही विकसित होने से रोका जा सके एवं भोली-भासी एवं गरीब जनता को गुमराह होने से बचाया जा सके। उपरोक्त वसिकाओं में वर्णित भूमि की किस्म की रिपोर्ट प्राप्त की गई जो तहसीलदार, बहादुरगढ़ की रिपोर्ट अनुसार उक्त 133 रजिस्ट्रीयों से सम्बन्धित भूमि की किस्म अधिकतर कृषि भूमि है। इस प्रकार श्री श्रीभगवान, तत्कालीन नायब तहसीलदार, (द्वितीय श्रेणी अधिकारी), बहादुरगढ़ जिला झज्जर व श्री गणेश, रजिस्ट्री क्लर्क, (तृतीय श्रेणी अधिकारी) तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर द्वारा नगर परिषद, बहादुरगढ़ व कार्यालय जिला नगर योजनाकार, झज्जर से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए व टुकड़ों में/घोषित नियंत्रित क्षेत्रों/अर्बन क्षेत्रों में पड़ने वाली जमीन की रजिस्ट्रीयाँ पंजीकृत करके, अपने कर्तव्यपरायण में घोर लापरवाही करके, हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7ए/10 व 13(1)डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सख्या 49, सन् 1988 की उल्लंघना की जानी पाई गई है। अतः प्रतिवादी श्री श्रीभगवान, नायब तहसीलदार व श्री गणेश, रजिस्ट्री क्लर्क तथा उन सभी लाभान्वित व्यक्तियों (जिन्होंने विषयान्धीन अवधि में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए उनसे सम्बन्धित जमीन की रजिस्ट्रीयाँ तहसील कार्यालय, बहादुरगढ़ में पंजीकृत करवाई हैं) के विरुद्ध धाराधीन 166, 217 120बी, 197, 198 भा.द.सं व 13(1)सी, डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सख्या 49, सन् 1988 तथा हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7ए/10 के अन्तर्गत तहत आपराधिक मामला दर्ज किये जाने की सिफारिश जाँच अधिकारी द्वारा किये जाने पर उक्त रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 15026/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 17.9.2019 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 62/59/2017-4चौ0-11 दिनांक 31.05.2022 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 9283/आई-5 रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 10.6.0.22 अनुसार श्री श्रीभगवान, नायब तहसीलदार व श्री गणेश, रजिस्ट्री क्लर्क तथा उन सभी लाभान्वित व्यक्तियों (जिन्होंने विषयान्धीन अवधि में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए उनसे सम्बन्धित जमीन की रजिस्ट्रीयाँ तहसील कार्यालय, बहादुरगढ़ में पंजीकृत करवाई हैं) के विरुद्ध धाराधीन 166, 217 120बी, 197, 198 भा.द.सं व 13(1)सी, डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सख्या 49, सन् 1988 तथा हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7ए/10 के अन्तर्गत तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करके अनवेषण करने बारे अनुमति/आदेश प्राप्त हो चुके हैं। अभियोग दर्ज रजिस्टर करके अफसरानबाला को बजरिया टैक्सीफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फॉर्म-I)

जाए व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाए। अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी और अधिकारी/कर्मचारी या व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी देख लिया जावे। मुकदमा दर्ज रजिस्टर होने उपरान्त मुकदमा की तकमील तफतीश अमल में लाई जावेगी। हस्ता अंग्रेजी (जयपाल सिंह) ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र सोनीपत। अज थाना:- हस्ब आमद तहरीर के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 12 दि0 14.07.2022 जुर्म जेर धारा 166, 217 120बी, 197, 198 भा0द0सं व 13(1)सी,डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा 7ए/10 हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित पांच फाइले Complaint File Page No 1 से 105 व Statement File Page No 1 से 17 व Police File Page No 1 से 81 व Documents File Page No 1 से 145 व Documents File Page No 1 से 873 जो SP साहब दवारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी श्री सुमित कुमार उ0पु0अ0 रा0चौ0ब्यूरो को सौंपी जाएगी व HC सत्यवान सिंह न0 645/GRP के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब झज्जर को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर खाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक महेन्द्र सिंह रा0चौ0ब्यूरो रोहतक की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है। नोट सी0सी0टी0एन0एस सोफ्टवेयर में धारा 13(1)C तो है लेकिन 13(1)CD धारा नहीं होने पर D पेन द्वारा लिखा जाएगा।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SUMIT KUMAR Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
- No. (सं.): PINSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इन्कार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): महेन्द्र सिंह

Rank (पद): निरीक्षक

No. (सं.): 38/ सोनीपत

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):